स्मार

उद्यान निदेशालय, बिहार

1st Floor,Pant Bhawan,Bailey Road, Patna-800001, Phone +Fax: 0612-2521776, e-mail :md-hort-bih@nic.in,website :www.horticulture,bih.nic.in

पत्र संख्या– उ० कृ० नि० 262/2014– /उ०, पटना,दिनांक दिसम्बर, 2014

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
निदेशक उद्यान, बिहार।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार
पटना।

विषय : **श्री देवकृष्ण पासवान, सेवा निवृत, सहायक बीज प्रमाणन पदाधिकारी, कार्यालय उप कृषि निदेशक (आलू), बिहार, पटना का मूल संचिका वापस करने के संबंध में।**

प्रसंग : **उप कृषि निदेशक (आलू), बिहार के संचिका संख्या उ०कृ०नि० (आलू) 25/13–179 दिनांक 21.04.2014, पत्रांक 405 दिनांक 21.10.2014 एवं पत्रांक 475 दिनांक 28.11.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये सूचित करना है कि श्री देवकृष्ण पासवान, सेवा निवृत, सहायक बीज प्रमाणन पदाधिकारी, कार्यालय उप कृषि निदेशक (आलू), बिहार, पटना की मूल सेवा पुस्तिका कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार से अबतक अप्राप्त है।

श्री पासवान की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति के आधार पर वित्त (वेतन निर्धारण शाखा) विभाग से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु संचिका संख्या उ०कृ०नि० (आलू) 25/13 प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार के माध्यम से संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की गयी थी।

वित्त (वेतन निर्धारण शाखा) विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति के आधार पर वेतन निर्धारण के सत्यापन में आपत्ति दर्ज की गयी है। फलस्वरूप कृषि निदेशालय, बिहार द्वारा संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सत्यापन में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री पासवान का द्वितीय सेवा पुस्तिका खोलने हेतु विभागीय अनुमति के लिये उप कृषि निदेशक (आलू), बिहार, पटना कार्यालय के संचिका संख्या–उ०कृ०नि० (आलू) 25/13 में गै.सं.प्रे. संख्या–179 दिनांक 21.04.2014 द्वारा संचिका अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्राप्त हुयी थी। उक्त संचिका को अद्योहास्तक्षरी को गै.सं.प्रे. संख्या–522 दिनांक 24.04.2014 द्वारा यथाआवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय को पृष्ठांकित की गयी है। यह संचिका मूल रूप में अभी तक अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि संचिका संख्या–उ०कृ०नि० (आलू) 25/13 मूल रूप में विभागीय मंतव्य सहित वापस करने की कृपा की जाय, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
निदेशक उद्यान, बिहार।

ज्ञापांकः– /कृ०, पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (आलू), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक उद्यान, बिहार।

Letter dt. 08.12.2014

ज्ञापांकः– 1288 /कृ०, पटना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/14

निदेशक उद्यान, बिहार।

(20)

Letter dt. 08.12.2014